Conference on Key Child Rights Issues
Uttarkashi State Level on 25-11-2025

बाल अधिकारों के सम्बन्ध ने राज्य स्तरीय सम्मेलन

सरल एक्सप्रेस संवाददाता

उत्तरकाशी। जनपद उत्तरकाशी के रामचन्द्र उनियाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा बाल अधिकारों के सम्बन्ध ने राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घघाटन रमेश चौहान, अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तरकाशी के कर कमलों द्वारा किया गया। सम्मेलन में राज्य के अन्य जनपदो तथा निदेशालय से आए हुए प्रतिनिधि, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जनपद प्रशासन के अधिकारियों, विद्यालय प्रबन्धन समिति अभिभावक शिक्षक एसोसिएसन के अध्यक्षगण, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापको / प्रधानाचार्यों, छात्रावास वार्डन, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रमुखों आदि के द्वारा प्रतिभाग किया गया। सम्मेलन में उपस्थित एन०सी०पी०सी०आर के मुख्य वक्ताओं तथा रितु यादव, परामर्शदाता एवं स्वर्णिमा पाण्डे, एडवोकेट द्वारा अवगत कराया गया कि एन० सी०पी०सी०आर० द्वारा अद्यतन 26 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है। 2300 से अधिक बच्चों को जिला राज्य स्तरीय अधिकारियों से मिलकर तस्करी से मुक्त किया गया है। सम्मेलन में रिर्सोस पर्सन तथा आमेन्द्र असवाल, अदिति कौर, डॉ० प्रिया त्यागी द्वारा बाल अधिकार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सुरक्षित, समावेशी एवं सहायक विद्यालय, मानसिक सवास्थ्य एवं कल्याण तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा बाल अधिकार व शिक्षा तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉ गीता खन्ना द्वारा वेबीनार के माध्यम से बाल अधिकारों के विषय में सम्मेलन को सम्बोधित किया। सम्मेलन में मुख्य शिक्षा अधिकारी, अमित कोटियाल, जिला शिक्षा अधिकारी, शैलेन्द्र अमोली, प्राचार्य, डायट बडकोट सजीव जोशी, आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सम्मेलन का आयोजन

अमर हिन्दुस्तान

बड़कोट/उत्तरकाशी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड द्वारा बुधवार को बाल अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तरकाशी मुख्यालय के रामचन्द्र उनियाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में यह आयोजन किया गया।जिसका उद्घघाटन रमेश चौहान अध्यक्ष जिला पंचायत, उत्तरकाशी के द्वारा किया गया।

जिसमें राज्य के अन्य जनपदों तथा निदेशालय से आए हुए प्रतिनिधि, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जनपदीय प्रशासन के अधिकारियों, विद्यालय प्रबन्धन समिति,अभिभावक शिक्षक एसोसिएसन के अध्यक्षगण, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक,प्रधानाचार्य, छात्रावास वार्डन, स्वयंसेवी संस्थान के प्रमुखों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।सम्मेलन में रितु यादव परामर्शदाता, स्वर्णिमा पाण्डे एडवोकेट ने अवगत कराया कि एनसीपीसीआर द्वारा अद्यतन 26 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया गया है। 2300 से अधिक बच्चों को जिला,राज्य स्तरीय अधिकारियों से मिलकर तस्करी से मुक्त किया गया है। 1000 से अधिक बच्चों को जनपदों के बाल देखभाल संस्थान-सीसीआई में स्वदेश लौटूँ किया गया। वहीं पारदर्शिता और क्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी लागू की गई है। आयोग ने समस्त राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में चीनी बोर्ड लगाने की परामर्शी जारी की है जिससे बच्चों में चीनी का सेवनकी जागरूकता बढ़ सके। एडवांस टूल का प्रयोग बाल यौन शोषण सामग्री-सीएसएएम बाल यौन शोषण सा को रोकने के लिए किया जा रहा है। एनसीपीसीआर 16 अंको का पोर्टल मैनेज करता है जैसशिकायत मैनेजमेंट, बाल तस्करी के मामले और दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल। सम्मेलन में पीआएससीओ अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विभिन्न प्राविधानों पर विस्तृत चर्चा की गई।इस दौरान अमित कोटियाल मुख्य शिक्षा अधिकारी, शैलेन्द्र अमोली जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी, संजीव जोशी प्राचार्य डायट बड़कोट, अमेंद्र असवाल,अदिति कौर,डॉ० प्रिया त्यागी,डॉ० गीता खन्ना आदि मौजूद रहे।